... श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 81 / 2020

निर्णय दिनांक 18.0.2021

मुन्नीराम पुत्र रखाराम जाति बिश्नोई निवासी सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

— प्रार्थी —

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थिति—
1 श्री ...राम जाखड अभिभाषक वादी
2 ... स्टेट की तरफ से

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

यह प्रार्थना पत्र मुन्नीराम ने जरिये अधिवक्ता मार्फत पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 73 तादादी 13.16 हैक्टेयर वाकेरोही कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ मे 1/6 हिस्सा व संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 183,184,243, व 327 कुल तादादी 13.92 हैक्टेयर वाकेरोही सावंतसर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 27 तादादी 10.97 रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर मे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा भूमि है। प्रार्थी के पिता का सही नाम रखाराम है कि जबकि प्रार्थी व प्रार्थी के भाई बहिन के राजस्व रिकार्ड के खेत खसरा नम्बर 73 रोही सांवतसर में रामरख अंकित है तथा खेत खसर नम्बर 183,184,243,327 रोही सांवतसर में रखा नाम अंकित है तथा खेत खसरा नम्बर 27 रोही कल्याणसर मे प्रार्थी के पिता का नाम हरखा उर्फ रखाराम अंकित हैं। प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम अलग अलग अंकित होने से प्रार्थी को तरह तरह की परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी के भाई, बहिन के पिता का वास्तविक एवं सही नाम रखाराम है जो प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व पैन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि में अंकित है। प्रार्थी के पिता को घर, रिश्तेदारो व बोलचाल की भाषा मे रखा, रामरख व हरखा आदि अलग अलग नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता था। इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि में अलग अलग नाम दर्ज परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी को अपने पिता के अलग अलग नामो को साबित करना मुश्किल हो रहा है। रेवेन्यु रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम रखा व हरखा व रामरख के स्थान पर रखाराम करवाया जाना आवश्यक है।यह एक लिखितकीय भूल है जो कि सुधारी ... को सुधारा जाना न्यायहित मे आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने ... 30.11.2020 को निवेदन किया कि वो रेवेन्यू रिकार्ड मे प्रार्थी के ... रखा व रामरख के स्थान पर सही नाम रखाराम अंकित कर देवे तो ... ने कहा कि न्या... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Divya

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आदेश के बिना हम ऐसा संशोधन नही कर सकते है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की खेत खसरा नम्बर 73 नादादी 13.16 हैक्टेयर वाकेरोही कोटासर तहसील श्रीडूंगरगढ में 1/6 हिस्सा व संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 183,184,243 व 327कुल नादादी 13.92 हैक्टेयर वाकेरोही सांवतसर तहसील श्रीडूंगरगढ में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 27 नादादी 10.97 रोही कल्याणसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में 1/6 हिस्सा स्थित होने से प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद व पूर्ण कोर्ट फीस पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को रेवेन्यू रिकार्ड के खेत खसरा नम्बर 73 रोही कोटासर में प्रार्थी के पिता का नाम रामरख व खेत खसरा नम्बर 183,184,243,327 रोही सांवतसर में प्रार्थी व प्रार्थी की बहिन के पिता नाम रखा व खेत खसरा नम्बर 27 रोही कल्याणसर में प्रार्थी बहिन के पिता का नाम हरखा उर्फ रखाराम के स्थान पर रखाराम अंकित करने का आदेश प्रदान फरमाया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

खेत खसरा नम्बर 73 रोही कोटासर में प्रार्थी के पिता का नाम रामरख व खेत खसरा नम्बर 183,184,243,327 रोही सांवतसर में प्रार्थी व प्रार्थी की बहिन के पिता नाम रखा व खेत खसरा नम्बर 27 रोही कल्याणसर में प्रार्थी बहिन के पिता का नाम हरखा उर्फ रखाराम के स्थान पर प्रार्थी व इनके अन्य भाई–बहनो एवं वादी की वल्दियत में पिता का शुद्ध नाम रखाराम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 15.3.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:08:39 IST
Reason: SelfAttested